रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 1974/माघ 1, 1895

No 37] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 1974/MAGHA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 21st January 1974

S.O. 54(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 493, dated the 11th February, 1966 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 685 dated the 9th February, 1971, and No. S.O. 366(E), dated the 20th May, 1972, the management of the whole of the industrial undertaking known as the New Bhopal Textile Mills Limited, Bhopal had been taken over by the Authorised Controller referred to therein for a period upto and inclusive of the 10th February, 1974;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 10th February, 1975.

[No. F.28013/142/73-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974

का० आ० 54 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 685, तारीख 9 फरवरी, 1971 और सं० का० आ० 366 (ड), तारीख 20 मई, 1972 के साथ पठित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 493, तारीख 11 फरवरी, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल नामक औद्योगिक उपक्रम का सम्पूर्ण प्रबन्ध, उसमें निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 10 फरवरी, 1974 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए अपने हाथ में ले लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि यह लोक हित में समीचीन है कि उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 फरवरी, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[सं० 28013/142/73-एन टी सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974